>

Title: Need to re-instate the Business facilitators in the State Bank of India.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने के लिए देश भर की सभी ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं में 20 हजार से ज्यादा व्यक्तिगत व्यवसाय सुलभकर्ता, बिजनेस फैसिलिटेटर्स की नियुक्ति की थी, जिसमें केवल उत्तर प्रदेश में ही लगभग पांच हजार बिजनेस फैसिलिटेटर्स की नियुक्ति हुई थी। इन सभी को 11 अप्रैल 2012 के एक सर्कुलर के द्वारा शाखाओं से निकालकर बेरोजगार कर दिया गया है। 11 अप्रैल के बाद से ही पूरे देश के सभी राज्यों के बिजनेस फैसिलिटेटर्स ने एसबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों, मण्डल कार्यालयों, लोकल हैड आफिसिज व मुम्बई स्थित कारपोरेट कार्यालय पर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। मुझे बताया गया है कि बिजनेस फैसिलिटेटर्स की नियुक्ति के बाद से भारतीय स्टेट बैंक का बिजनेस चौगुना तक पहुंचा है। अधिकतर बिजनैस फैसिलिटेटर्स ने मिले लक्ष्य से कहीं ज्यादा बिजनैस बैंक को दिया है। अब चार वर्ष के बाद एकाएक बिना कारण बताये बैंक द्वारा 20000 से ज्यादा बिजनैस फैसिलिटेटर्स को हटाकर बेरोजगार करना सर्वथा अनुचित है। आध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ व असम सहित कई राज्यों के उच्च न्यायालयों ने एसबीआई के इस निर्णय पर स्टे जारी करते हुए 11 अप्रैल 2012 का सर्कुलर रद्द भी किया है। इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा था। उनका सीधा उत्तर तो नहीं आया परंतु उनके पत्र के आधार पर एसबीआई के महाप्रबंधक ने उत्तर भेजा है कि हम इन फेसिलिटेटर्स को दुबारा नियुक्त नहीं कर सकते। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि स्वयं वित्त मंत्री जी इस संबंध में हस्तक्षेप करें और जो बिजनैस फैसिलिटेटर्स के रूप में देश की बैंकिंग सेवाओं ं को आम व्यक्ति तक पहुंचाने वाले हजारों व्यक्तियों का रोजगार बचाने की कृपा करें।